

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

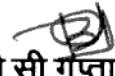
— विविध आदेश —

क्रमांक २१ / एक-११-१ / ८५

दमोह, दिनांक १६ मई २०२५

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्य पीठ जबलपुर का मेमो प्रतिलिपि क्र. रजि.(आईटी)(एसए)/२०२५/७२८ जबलपुर दिनांक ०७.०५.२०२५ मय पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. अअवि/इंटरपोल/१६५/२४/ ५७९/२०२५ दिनांकित ०८.०४.२०२५ के परिप्रेक्ष्य में ई-समन की शत-प्रतिशत तामीली हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

१. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सदस्य)
२. प्रभारी उप संचालक अभियोजन (सदस्य)
३. जेल अधीक्षक (सदस्य)
४. वरिष्ठ अनुभाग प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग न्यायालय (सदस्य)
५. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सदस्य)


पी.सी.गुप्ता
प्रधान जिला न्यायाधीश, दमोह
मध्यप्रदेश

आदेशानुसार प्रतिलिपि

पृष्ठांकन क्र. १७० / एक-११-१ / ८५

दमोह दि. १६ मई २०२५

०१. समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
०२. समस्त न्यायालय/प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक/दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा/परिवार न्यायालय/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
०३. वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग/जेएसए दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह म.प्र.